जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

शिक्षक कल्याण कोष के संचालन हेतु नियम

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के संचालन हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं। :-

नियम-1 **नामः-** कोष का नाम शिक्षक कल्याण कोष जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर होगा।

नियम-2 **समिति** का अर्थ शिक्षक कल्याण कोष समिति होगा। यह समिति कोष का संचालन करेगी।

(घ) **सचिव**-सचिव का अभिप्राय समिति के सचिव से होगा।

परिभाषायें :- निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके समक्ष दी गई परिभाषा के अनुसार होगा जब तक कि वे अन्य परिस्थितियों में दूसरा अर्थ न रखते हों।

(अ) **विश्वविद्यालय** - विश्वविद्यालय का अर्थ जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से होगा।

(ब) **कोष** - कोष का अर्थ शिक्षक कल्याण कोष जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से होगा।

(स) **शिक्षक** - सम्बन्ध महाविद्यालय के समस्त वर्गो के नियमित शिक्षा एवं प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के समस्त वर्गो के नियमित शिक्षक/शिक्षकों की श्रेणी में आयेगें। कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर शिक्षक की श्रेणी में परिभाषित व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आयेगें।

(द) **आश्रित** - आश्रित का अर्थ शिक्षक एवं परिवार के आश्रित से होगा। जिसमें पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां एवं परिवार के आश्रित से होगा। जिसमें पुत्री एवं माता, पिता आदि उनकी आय रूपये 3025/- प्रतिमाह से अधिक न हो। आश्रित बहनों में विधवा बहने भी सम्मिलित मानी जावेगी।

(त) **वर्ष**- वर्ष का अभिप्राय वित्तीय वर्ष से होगा जो प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होगा और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा।

नियम-3 **उद्देश्य-कोष के उद्देश्य निम्न लिखित होगेंः-**

1. सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के शैक्षणिक सामाजिक एवं स्वास्थ्य कल्याण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
2. शिक्षक कल्याण कोष से बनने वाली स्थायी सम्पत्ति जैसै रेस्ट हाउस इत्यादि के संचालन से संबंधित नियम चार सदस्यीय समिति द्वारा बनाये जावेंगें। जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. अध्यक्ष (कुलपति)

2. वित्ताधिकारी
3. सचिव
4. कुलपति द्वारा मनोनीत शिक्षक कल्याण कोष समिति का एक सदस्य।

नियम–4 कोष के श्रोत :–

1. कोष में राशि निम्न श्रोतों में से सभी या किसी एक से प्राप्त रहेगी :–

(अ) समस्त परीक्षाओं से संबंधित सभी पारिश्रमिक वाले कार्यो (वीक्षण कार्य को छोड़कर) से की जाने वाली कटोत्री जिसमें विभिन्न प्रकार के गोपनीय परीक्षा कार्य हेतु दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम पारिश्रमिक सीमा से अधिक पारिश्रमिक जिसे विश्वविद्यालय द्वारा हस्तगत कर लिया जाता है।

(स) वह पारिश्रमिक जो विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया गया हो।

(द) चंदा और अनुदान जिसमें केन्द्र एवं राज्य शासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं किसी अन्य श्रोत, संस्थान एवं व्यक्ति द्वारा किया गया दान सम्मिलित है।

(इ) कोष हेतु निर्धारित शुल्क।

(फ) कर्ज और जमा राशियों एवं प्रतिभूति पर ब्याज तथा कोष की सम्पत्तियों से अर्जित होने वाली आय।

(ज) शिक्षकों के पारिश्रमिक आदि से इस कोष हेतु प्रतिवर्ष अर्जित राशि के बराबर ही जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा मैचिंग ग्रान्ट से कोष में प्राप्त वार्षिक अंशदान।

(ह) शिक्षक कल्याण कोष हेतु परीक्षा पारिश्रमिक में की गई 5% की कटोत्रा राशि।

2. कोष का एक अलग खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा।

3. इन नियमों में उल्लेखित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु कोष का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. अन्य खातों की तरह कोष का खाता संयुक्त रूप से कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव (लेखा) द्वारा संचालित किया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय के लेखा के साथ ही इस कोष के आय – व्यय का अंकेक्षण आवासीय संपरीक्षा जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा। अंकेक्षित लेखा का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय की महासभा एवं कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रत्येक वर्ष रखा जावेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां समिति के समक्ष भी रखी जावेगी तथा समिति की वार्षिक बैठक की सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को भेजी जावेगी। अंकेक्षित आय–व्यय लेखा की प्रतियां

विश्वविद्यालय के सम्बद्ध शिक्षक संघों के सचिवों को भी भेजी जावेगी।

नियम–5 समिति संरचना :–

समिति में निम्न सदस्य होगें :–

1. कुलपति – अध्यक्ष (पदेन)
2. सचिव – समिति के शिक्षक सदस्यों में से चुना जायेगा।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) – कोषाध्यक्ष (पदेन)
4. कार्यपरिषद द्वारा नामांकित एक शिक्षक सदस्य।
5. कुलपति द्वारा नामांकित, विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय के कुल 3 शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के 3 शिक्षक कुल 6 शिक्षक, जो शिक्षकों के यथा सम्भव सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हों।
6. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा शासन द्वारा मान्य प्रत्येक शिक्षक संघ द्वारा नामांकित एक–एक प्रतिनिधि।

कार्यकालः– सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कोष के सदस्यों को कोष से किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा। इसी प्रकार किसी भी कर्मचारी को कोष से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

नियम–6 समिति का कार्य एवं अधिकार :–

(अ) 1 समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार अवश्य होगी।

2 बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष परस्पर विचार कर अध्यक्ष के आदेश से रूपये 50,000/– का ऋण या अनुदान स्वीकृत कर सकेगें जिसकी सूचना शिक्षक कल्याण कोष की आगामी बैठक में देना अनिवार्य होगा।

3 समिति शिक्षकों के प्रार्थना पत्रों की जांच करेगी और उन्हें ऋण या आर्थिक सहायता को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा कर सकेगी।

(ब) **अध्यक्ष का विशेषाधिकार–** किसी शिक्षक के आकस्मिक निधन होने के बाद विशेष आर्थिक अनुदान के रूप में अधिकतम राशि रूपये 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) रहेगी जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।

नियम–7 कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का नियम :–

(1) सभी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य या संस्था के प्रमुख के माध्यम से कोषाध्यक्ष सहायक कुलसचिव (लेखा) को भेजे जावेगें।

(2) ऋण की आदयगी 6% ब्याजदर सहित की जावेगी। ऋण की किश्ते वेतन से काट कर कोष में जमा करने संबंधी अधिकार

पत्र की चार प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। ऋण की अदायगी के पूर्व सेवा निवृत होने अथवा पदच्युत किये जाने पर आवेदक को प्राप्त होने वाली सामान्य भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी इत्यादि से ऋण की शेष राशि ब्याज सहित काटने का अधिकार पत्र आवेदक को संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख के नाम देना होगा। समिति द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत किश्तों आदि की जानकारी के साथ पत्र की एक प्रति प्राचार्य, एक प्रति सचिव म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर भेजी जायेगी एवं एक प्रति कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को भेजी जावेगी।

(3) मृत्यु दिनांक के बाद स्वीकृत ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज की शेष राशि वसूल योग्य नहीं होगी।

(4) किसी भी शिक्षक को रूपये 1.00 लाख से अधिक ऋण नहीं दिया जायेगा।

(5) सामान्यत एक शिक्षक को उसके सेवाकाल में एक बार ही ऋण दिया जा सकेगा।

(6) ऋण स्वीकृत करने के पूर्व सचिव और कोषाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि समस्त वैधानिक आवश्यकताऐं एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं।

(7) ऋण अदायगी का समयकाल ऋण दिये जाने के दिनांक से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। सेवा निवृत्त होने या नौकरी से अलग होने की दशा में बकाया पूर्ण राशि का तुरन्त भुगतान करना होगा।

(8) ऋण यदि रूपये 50,000/- से कम ,है तो 20 समान मासिक किश्तों में तथा रूपये 50,000/- से अधिक होने पर 36 समान मासिक किश्तों में वापस करना होगा, ऋण की प्रथम किश्त ऋण प्राप्ति के आगामी माह से देय होगी, ब्याज की राशि मूलधन जमा होने के बाद 3 समान किश्तों में देय होगी।

(9) ऋण पर ब्याज दर 6% होगी निर्धारित समयावधि में मूलधन / ब्याज राशि जमा न करने की स्थिति में देय ऋण पर चूक अवधि के लिये 10% के मान से ब्याज देय होगा।

(10) स्वेच्छा से ऋण वापस न करने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन से देय ऋण राशि का कटोत्रा ब्याज सहित प्राचार्य / संस्था प्रमुख के माध्यम से वसूल किया जावेगा, तथा संबंधित शिक्षक के पारिश्रमिक का भी इसमें समायोजन किया जा सकेगा। भविष्य में ऐसे किसी भी शिक्षक को शिक्षक कल्याण कोष से कोई सुविधा नहीं मिल सकेगी।

(11) ब्याज की दर को समिति द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

सहायता एवं ऋण

1 शिक्षक अथवा उसके आश्रितों की गंभीर बीमारी जैसे केन्सर, हृदय रोग, मानसिक असंतुलन, किडनी, पक्षाघात, एड्स के इलाज एवं गंभीर दुर्घटना के कारण आपरेशन आदि के लिए म.प्र. या म.प्र. के बाहर केवल शासकीय चिकित्सालयों या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में इलाज होने पर ही अधिकतम रूपये 1.00 लाख तक व्यय राशि के प्रतिपूर्ति हो सकेगी। व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ व्यय राशि के देयक संबंधित चिकित्सालय से प्रमाणित होकर संलग्न करने पर होगी।

2 शिक्षकों को निम्न स्थितियों में ऋण भी स्वीकृत किया जा सकेगा।

(अ) शिक्षक या उसके आश्रितों की गंभीर दुर्घटना या गंभीर बीमारी की दशा में चिकित्सा हेतु अधिकतम रूपये 1.00 लाख की राशि।

(ब) शिक्षक पुत्री या आश्रित बहन के विवाह हेतु अधिकतम रूपये 1.00 लाख की राशि।

(स) बिन्दु क्रमांक एक मे उल्लेखित केवल गंभीर बीमारी की स्थिति में सेवा निवृत शिक्षक को रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) तक की अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

नियम-8 ऋण वापस न होने की स्थिति में समिति के सचिव को अध्यक्ष की सलाह से वैधानिक कार्यवाही का अधिकार होगा।

नियम-9 विशेष परिस्थितियों में समिति की अनुशंसा पर नियमों को शिथिल करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

नियम-10 यह नियम समिति द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किये जा सकेगें जिनका अनुमोदन कार्यकारी परिषद करेगी।

नियम-11 उपर्युक्त नियमों के अर्थ के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कार्यकारी परिषद का निर्णय अन्तिम होगा। फिर भी सन्तुष्टि न होने पर नियमों को केवल ग्वालियर स्थित न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। शिक्षक कल्याण कोष समिति द्वारा दिनांक 29.1.2013 की बैठक में उपर्युक्त संशोधनों परिवर्तनों के साथ नियम को स्वीकृति प्रदान की गई।

हस्ताक्षर

29/1/13

(प्रो. यू.सी.सिंह)
सचिव
शिक्षक कल्याण कोष

Rules for Teachers Welfare Fund

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/लेखा/2015/748 दिनांक 13.01.2015

-: संशोधित अधिसूचना :-

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.08.2014 के पद क्रमांक 49 में कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षक कल्याण कोष के नियमों में संशोधन किया जावे एवं मृत्यु होने पर ₹2.00 लाख तथा चिकित्सा पर होने वाले वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति प्रमाणित चिकित्सालय के देयक प्राप्त होने पर भुगतान हेतु प्रकरण मान्य किया गया है यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार का संशोधन शिक्षक कल्याण कोष की नियमावली में अंगीकृत किया जावे।

अतः शिक्षक कल्याण कोष के संचालन हेतु बने नियम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। नियम 6 (ब) में संशोधन

1. किसी शिक्षक के आकस्मिक निधन होने के बाद विशेष आर्थिक अनुदान के रूप में अधिकतम राशि ₹ 25,000 के स्थान पर ₹ 2.00 लाख रहेगी जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जावेगी।

2. नियम 11 (एक) में संशोधन – " शिक्षक तथा उसके आश्रितों की गंभीर बिमारी जैसे केन्सर, हृदय रोग, मानसिक असंतुलन, किडनी, पक्षाघात, एड्स के इलाज एवं गंभीर दुर्घटना के कारण आपरेशन आदि के लिए मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर केवल शासकीय चिकित्सालयों या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में इलाज होने पर ही अधिकतम ₹ 2.00 लाख प्रतिपूर्ति की जावेगी। व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदन के साथ व्यय राशि के देयक सम्बन्धित चिकित्सालय से प्रमाणित होने पर संलग्न करने पर होगी।

13/1/15

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ
2. सम्बन्धित समिति के सदस्यों/कोषाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ।

13/1/15

सहा. कुलसचिव (लेखा)